<u>ड्यूटी संचरण प्रणाली।</u>

उ0प्र0 होम गार्ड्स अधिनियम-1963 के पैरा-4 में होम गार्ड्स के कार्यो का निर्धारण किया गया है जिसमें निम्नानुसार कार्य निर्धारित किये गये हैं:-

1. वे पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे।
2. वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे।
3. वे ऐसे विशिष्ट कार्यो के लिए, जो नियत किये जायें, आपातकालीन बल के रूप में कार्य करेंगे।
4. वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाईयों की व्यवस्था करेंगे।
5. वे लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायं ।

होम गार्ड्स अधिनियम के पैरा-8 के बिन्दु ''**A**'' में निम्नानुसार निर्देष पारित किये गये हैं:-

(a) the District Magistrate (or the District Commandant) may by order call out any Home Guards attached to a unit posted in the district for duty in any area within that district;

(b) the Commandant-General or such officer of the Home Guards as may be authorized by him in this behalf, may call out any home gurad for duty in any part of the State or outside the State.

<u>होम गार्ड्स ड्यूटी विवरण</u>:-

होम गार्ड्स अधिनियम में उपरोक्त अंकित व्यवस्था के क्रम में होम गार्ड्स प्रदेश् के सभी जनपदों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत नियमों के अधीन तैनात होकर ड्यूटी सम्पादित करते हैं। होम गार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में विभिन्न जनपदों में होम गार्ड्स का प्रतिस्थापन आयुक्त, जिलाधिकारी, डी0जी0पी0 रिजर्व, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कोटे का निर्धारण सुनिश्चित किया गया है ।

शान्ति व्यवस्था डियूटियों में सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रश्नगत जनपद के निर्धारित कोटे के अन्तर्गत जिला कमाण्डेण्ट/जिलाधिकारी से शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु माँग की जाती है। उक्त माँग पर जिला कमाण्डेण्ट, होम गार्ड्स द्वारा जिलाधिकारी कोटे की स्वीकृति जिलाधिकारी से तथा जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त कोटे से आच्छादित होम गार्ड्स की स्वीकृति प्राप्त कर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ''उपहार'' साफ्टवेयर के माध्यम से शान्ति व्यवस्था ड्यूटी का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के जनपदों में लगभग **60000** होम गार्ड्स स्वयंसेवक सामान्य शान्ति व्यवस्था ड्यूटियों पर तैनात हैं।

विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों का भुगतान किये जाने के आधार पर लगभग **3500** होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ''उपहार'' साफ्टवेयर के माध्यम से ड्यूटी पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा यथा-महामहिम श्री राज्यपाल, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 के कार्यालय/आवास, मा0 उप मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन मा0 पूर्व मुख्य मंत्रियों तथा शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों यथा-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव, होम गार्ड्स एवं शासन के अन्य अधिकारियों एवं अनुभागों में तथा माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग **1500** होम गार्ड्स का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

डायल 112 में प्रदेश के सभी जनपदों दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के परिचालन हेतु लगभग **10,000** होम गार्ड्स स्वयंसेवक ड्यूटी संचरण कर रहे हैं।

विभिन्न कारागारों की सुरक्षा हेतु **1736** होम गार्ड्स स्वयंसेवक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला कारागारों की सघन सुरक्षा हेतु ड्यूटीरत हैं।

बाढ़ राहत प्रशिक्षित होम गार्ड्स स्वयंसेवक सम्बन्धित बाढ़ प्रभावित जिले के जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ राहत कार्यो हेतु ऐसे प्रशिक्षित होम गार्ड्स का नियोजन किया जाता है।

<u>आन लाइन ड्यूटी प्रतिस्थापन प्रक्रिया</u>:-

शासनादेश संख्या-103/छःनासु-11-495होगा/09, दिनांक 27 जनवरी, 2011 के अनुक्रम में वर्ष 2013 से प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन हेतु पूर्व में निर्धारित मैनुअल प्रतिस्थापन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से आन-लाइन होम गार्ड्स का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे एक वृहद प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर नियोजित किये जाने हेतु निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के लिये होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का आन-लाइन विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजन सुनिश्चित किया गया, जो ड्यूटी संचरण प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है।

"उपहार" साफ्टवेयर होम गार्ड्स को समान रूप से डियूटी के अवसर उपलब्ध कराने के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है। साफ्टवेयर सभी होम गार्ड्स को एक समान डियूटी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मानव दिवस के आधार पर कम अवसर प्राप्त होम गार्ड्स को वरीयता प्रदान करते हुए डियूटी प्रतिस्थापन करता है । मानव दिवस के आधार पर अवसर को वरीयता प्रदान किया जाना डियूटी प्रतिस्थापन का महत्वपूर्ण कारक है। द्वितीय कारक के रूप में साफ्टवेयर डियूटी स्थल की दूरी, तदनुसार होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की उपलब्धता के अनुसार चयन करता है । तृतीय कारक के रूप में विभिन्न प्रशिक्षणों को ग्रहण करता है यथा आधारभूत प्रशिक्षण, अग्रिमशस्त्र प्रशिक्षण, यातायात प्रशिक्षण, डायल 112 प्रशिक्षण, अग्निशमन प्रशिक्षण इत्यादि प्रशिक्षणों के अनुसार मॉग के सापेक्ष डियूटी प्रतिस्थापन को साफ्टवेयर प्रणाली द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके उपरान्त साफ्टवेयर होम गार्ड्स द्वारा दिये गये विकल्पों को भी उपरोक्त क्रम में वरीयता प्रदान करते हुए डियूटी प्रतिस्थापन का कार्य सुनिश्चित करता है जो पूर्णत निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वर्ष 2013 से निष्पादित किया जा रहा है ।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के साफ्टवेयर से डियूटी प्रतिस्थापन के उपरान्त होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को एस0एम0एस0 के माध्यम से उनकी निर्धारित ड्यूटी की सूचना का प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है। होम गार्ड्स स्वंयसेवक अपनी निर्धारित ड्यूटी ''होमगार्डस डियूटी संचरण प्रणाली के पोर्टल'' पर भी कम्पनी वार अथवा ड्यूटी स्थल वार अवलोकित कर सकते हैं। होम गार्ड्स अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल भी इस पोर्टल पर सीधे अवलोकित कर सकते हैं तथा अपने प्रोफाइल में किसी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कार्यालय प्रयोग हेतु इस साफ्टवेयर में यूजर के तीन स्तर निर्धारित किये गये हैं। विभिन्न स्तर के प्रत्येक यूजर को लॉगिन उपलब्ध कराये गये हैं। सभी प्रकार के यूजर होम गार्ड्स संचरण प्रणाली के साफ्टवेयर में आवंटित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। जिला/मण्डल स्तर पर तीन लॉगिन प्रदत्त हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. मण्डलीय कमाण्डेण्ट स्तर
2. जिला कमाण्डेण्ट स्तर
3. आपरेटर स्तर

मण्डलीय कमाण्डेण्ट स्तर से मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होम गार्ड्स द्वारा अपने मण्डल के अधीन जनपद के जिला कमाण्डेण्ट के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर होम गार्ड्स का बायोडाटा साफ्टवेयर में अंकित किये जाने, होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के अंकित प्रोफाइल में किसी प्रकार के संशोधन, ड्यूटी स्थलों का साफ्टवेयर में अंकन इत्यादि कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

जिला कमाण्डेण्ट के स्तर से होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का जिलें के अन्तर्गत विभिन्न ड्यूटी स्थलों पर डियूटी प्रतिस्थापन का कार्य, ड्यूटी पर उपस्थित न होने वाले होम गार्ड्स के सापेक्ष डिफाल्टर प्रक्रिया से उक्त अनुस्थित होम गार्ड्स के स्थान पर नये होम गार्ड्स के प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्य इत्यादि का सम्पादन किया जाता है।

आपरेटर द्वारा विभिन्न ड्यूटी स्थलों से की गयी माँग को स्वीकृति उपरान्त साफ्टवेयर में अंकित ड्यूटी स्थलों में स्वीकृत/निर्धारित संख्या को अंकित किया जाता है तथा होम गार्ड्स के प्रोफाइल में अंकित उनके मोबाइल नम्बर में यदि कोई संशोधन होता है, तो सम्बन्धित होम गार्ड्स द्वारा मोबाइल नम्बर संशोधित किये जाने विष्यक प्रार्थना पत्र के आधार पर नया संशोधित मोबाइल नम्बर साफ्टवेयर में अंकित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।

होमगार्ड प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में दो स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां पर अवैतनिक व वैतनिक कार्मिको को प्रशिक्षण दिया जाता है।

1- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों तथा अवैतनिक अधिकारियों व होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होम गार्ड्स लखनऊ होम गार्ड्स मुख्यालय के प्रांगण में स्थित है जो उपमहासमादेष्ठा होम गार्ड्स (होम गार्ड्स सेवा समुह क) के नियन्त्रण में कार्यरत है।

1- मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स–

मण्डल स्तर पर एक मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है जिनकी कुल संख्या 12 है जो कमाण्डेन्ट मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र होम गार्ड्स (होम गार्ड्स सेवा समूह क) के नियन्त्रण में कार्य करता है। मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, आजमगढ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, झाँसी एवं मुरादाबाद मण्डलों में कार्यरत है। होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के 10 दिवसीय व 42 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण 8 दिवसीय व 13 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण तथा 30 दिवसीय अग्रिम प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

<u>उ0प्र0 होम गार्ड्स विभाग के वैतनिक अधिकारियों/कार्मिकों के प्रशिक्षण का विवरण</u>

क्रम सं0	संवर्ग	प्रशिक्षण	अवधि
1	सीधी भर्ती के नवनियुक्त जिला कमाण्डेन्ट	आधारभूत प्रशिक्षण	01 माह के0प्र0सं0 + 09 माह पुलिस एकेडमी + 03 माह उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकेडमी
2	पदोन्नति से नियुक्त जिला कमाण्डेन्ट	कैडर ट्रेनिंग	15 दिवस के0प्र0सं0 पर
3	पदोन्नति से नियुक्त वैतनिक निरीक्षक	कैडर ट्रेनिंग	01 माह के0प्र0सं0 पर
4	सीधी भर्ती के वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	आधारभूत प्रशिक्षण	09 माह के0प्र0सं0 पर + 03 माह पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में
		कैडर ट्रेनिंग	01 माह के0प्र0स0 पर
5	सीधी भर्ती के ब्लाक आर्गनाइजर	आधारभूत प्रशिक्षण	09 माह के0प्र0सं0 पर + 03 माह पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में
		कैडर ट्रेनिंग	01 माह के0प्र0स0 पर
		रिफ्रेशर ट्रेनिंग	01 माह के0प्र0स0 पर
6	सीधी भर्ती के हवलदार प्रशिक्षक	आधारभूत प्रशिक्षण	09 माह के0प्र0सं0 पर + 03 माह पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में
		रिफ्रेशर ट्रेनिंग	01 माह के0प्र0स0 पर
7	क्वार्टर गार्ड होम गार्ड/बिगुलर/पाइप बैण्ड मैन	आधारभूत प्रशिक्षण	06 माह के0प्र0स0 पर

उ0प्र0 होम गार्ड्स विभाग के अवैतनिक अधिकारियों/होम गार्डस स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का विवरण

क्र0सं0	नाम प्रशिक्षण	अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1	**आधारभूत प्रशिक्षण**		
	अ- अवैतनिक कंपनी कमाण्डर/ सहायक कंपनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर	42 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होम गार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ पर
	ब- ग्रामीण होम गार्ड्स	42 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण	संबंधित मण्डलों के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र पर
	स- श्हरी होम गार्ड्स	(1) 57 दिवसीय प्रशिक्षण पार्ट टाइम आधार पर (21/2 घंटे प्रति दिवस)	संबंधित जिला मुख्यालय/पुलिस लाइन पर
		(2) 10 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण (प्रथम वर्ष में)	संबंधित मण्डलों के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र पर
	द- अवैतनिक अधिकारी/होमगार्ड्स (महिला)	94 दिवसीय प्रशिक्षण पार्ट टाइम आधार पर (21/2 घंटे प्रति दिवस)	संबंधित जिला मुख्यालय/पुलिस लाइन पर
2	**पुनरावृत्ति प्रशिक्षण**		
	अ- अवैतनिक कंपनी कमाण्डर/ सहायक कंपनी कमाण्डर	30 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होम गार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ पर
	ब- अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	(1) 12 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रत्येक माह)	संबंधित कंपनी की परेड पर
		(2) 21 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होम गार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ पर
	स- ग्रामीण होम गार्ड्स	(1) 12 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रत्येक माह)	संबंधित जिला मुख्यालय/ पुलिस लाइन पर
		(2) 13 दिवसीय शिविर प्रषिक्षण	संबंधित मण्डलों के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र पर
	द- श्हरी होम गार्ड्स	(1) 12 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रत्येक माह)	संबंधित कंपनी की परेड पर
		(2) 08 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण (द्वितीय वर्ष में)	संबंधित मण्डलों के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र पर
3	**नेतृत्व प्रशिक्षण**		
	अ- अवैतनिक कंपनी कमाण्डर/ सहायक कंपनी कमाण्डर	30 दिवसीय षिविर प्रशिक्षण	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होम गार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ पर
	ब- अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	21 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होम गार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ पर

4	**अग्रिम प्रशिक्षण**		
	अ- ग्रामीण होम गार्ड्स	30 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण	संबंधित मण्डलों के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र पर
	ब- शहरी होम गार्ड्स	27 दिवसीय प्रशिक्षण पार्ट टाइम आधार पर (21/2 घंटे प्रति दिवस)	संबंधित जिला मुख्यालय/ पुलिस लाइन पर

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों, सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों के प्रशिक्षण केन्द्रों, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बेंगलोर/नागपुर/लखनऊ इत्यादि में विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबन्धन, फायर फाइटिंग, श्स्त्र/पी0टी0 प्रशिक्षण आवश्यकता एवं शासन की मंशा के अनुरूप कराये जाते हैं।

शीत कालीन समय सारिणी 22 अक्टूबर से 21 मार्च तक

समय	विवरण
04:00 बजे	रिवाली
05:40 से 06:20 बजे तक	पी0 टी0
07:00 बजे	परेड फालेन
07:05 बजे	आफीसर काल
07:10 बजे	मार्च अप
07:10 से 07:50 बजे तक	प्रथम पीरियड
07:55 से 08:35 बजे तक	द्वितीय पीरियड
08:40 से 09:20 बजे तक	तृतीय पीरियड
09:25 से 10:05 बजे तक	चतुर्थ पीरियड
10:05 से 12:00 बजे तक	विश्राम एवं भोजन
12:00 से 12:40 बजे तक	आन्तरिक कक्षा प्रथम पीरियड
12:45 से 13:25 बजे तक	आन्तरिक कक्षा द्वितीय पीरियड
13:25 से 15:00 बजे तक	विश्राम
15:10 बजे	सायंकालीन परेड फालेन
15:15 बजे	सायंकालीन परेड मार्च अप
15:15 से 15:55 बजे तक	प्रथम पीरियड
16:00 से 16:40 बजे तक	द्वितीय पीरियड
16:50 से 17:30 बजे तक	खेल-कूद
सूर्यास्त के समय रिट्रीट	

समय	विवरण
19:00 से 19:50 बजे तक	भोजन
20:00 से 20:30 बजे तक	गणना परेड
22:00 बजे	लाइट आफ

ग्रीष्म कालीन समय सारिणी 22 मार्च से 21 अक्टूबर तक

समय	विवरण
04:00 बजे	रिवाली
05:20 से 06:00 बजे तक	पी0 टी0
06:35 बजे	प्रातकालीनपरेड फालेन
06:40 बजे	आफीसर काल
06:45 बजे	मार्च अप
06:45 से 07:25 बजे तक	प्रथम कालांश
07:30 से 08:10 बजे तक	द्वितीय कालांश
08:15 से 08:55 बजे तक	तृतीय कालांश
09:15 से 11:25 बजे तक	विश्राम एवं भोजन
11:30 से 12:10 बजे तक	आन्तरिक कक्षा प्रथम कालांश
12:15 से 12:55 बजे तक	आन्तरिक कक्षा द्वितीय कालांश
13:00 से 15:30 बजे तक	विश्राम
15:55 बजे	सायंकालीन परेड फालेन
16:00 बजे	मार्च अप
16:00 से 16:40 बजे तक	प्रथम कालांश
16:45 से 17:25 बजे तक	द्वितीय कालांश
17:40 से 18:20 बजे तक	खेल-कूद
सूर्यास्त के समय रिट्रीट	
19:00 से 19:45 बजे तक	भोजन
20:00 से 20:30 बजे तक	गणना परेड
22:00 बजे	लाइट आफ